

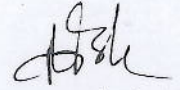
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3 (ख) (के-382/89) लिंक नं.8464 / अलेसे-11/4435-42 दिनांक : 28/5/14

कार्यालय आदेश

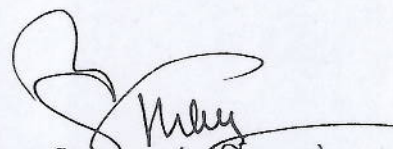
श्री केदार लाल यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव, लेखाकार कार्यालय पंचायत समिति, धौलपुर जिनकी जन्म तिथि 15.07.1961 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा में प्रथम नियुक्ति 29.07.1991 है, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया है। अतः श्री यादव के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन दिनांक 15.01.2014 एवं दिनांक 27.05.2014 को स्वीकार करते हुए इन्हें राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 29.05.2014 को मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री केदार लाल यादव, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3 (ख) (के-382/89) लिंक नं.8464 / अलेसे-11/4435-42 दिनांक :- 28-05-2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान भरतपुर
- 3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धौलपुर
- 4 श्री केदार लाल यादव, लेखाकार कार्यालय पंचायत समिति, धौलपुर
- 5 उप निदेशक, (ए.सी.पी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 7 गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट
- 8 निजी/गार्ड फाईल


अतिरिक्त निदेशक (कामिक-II)